

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर, दूर्घाष : 0141-2552796



क्रमांक : प.11(4) / RSSMSSB / वाहन / 2017-18 / १३७

दिनांक: १०/६/१९

खुली निविदा सूचना (2019-20/07)

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर में किरण के वाहन मासिक / आवश्यकतानुसार लेने के लिए अनुभवी / पंजीकृत टैक्सी / वाहन मालिकों से निर्धारित प्रपत्र में सीलबद्ध निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र. सं	विषय	अनुमानित लागत	निविदा शुल्क	बोली प्रतिशुत राशि
1.	<u>आकस्मिक यात्राओं हेतु:-</u> (क)- टैक्सी वाहन जयपुर (स्थानिय), राजस्थान एवं दिल्ली हेतु आवश्यकतानुसार वाहन। (ख)- मिनी बस / बस / टैम्पो / ट्रक परीक्षाओं के आयोजन हेतु आवश्यकतानुसार वाहन।	रु. 5.00 लाख	रु. 400/-	10,000/-

निविदा प्रपत्र मध्य शर्तों एवं विवरण सहित इस कार्यालय की रोकड़ शाखा से दिनांक 11.06.2019 से दिनांक 17.06.2019 तक अपराह्न 1:00 बजे तक विक्रय किए जावेंगे तथा भरी हुई निविदाएं दिनांक 17.06.2019 को अपराह्न 3:00 बजे तक रखीकार की जावेंगी। प्राप्त निविदाएं दिनांक 17.06.2019 को अपराह्न 4:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं / प्रतिनिधियों के समक्ष कमेटी द्वारा खोली जावेंगी। सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर के नाम देय, डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंक चेक के माध्यम से निविदा शुल्क जमा करवाकर निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है तथा बोली प्रतिशुति राशि जमा की जा सकती है। निविदा प्रपत्र डाक से मांगनाने पर डाक खर्च रुपये 50/- - अलग से देय होगा।

(जॉ. मुकुट बी. जांगिड)
सचिव

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

शाख कृषि प्रबंध संस्थान परिषद, दुर्गापुर, जयपुर

बिड प्रपत्र

आकस्मिक यात्राओं हेतु/आवश्यकतानुसार वाहन किए पर लेने हेतु

1. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म/व्यक्ति का नाम.....
डाक का पूर्ण पता मय दूरभाष/मोबाइल नं.....
.....
- PAN नम्बर..... खाता संख्या..... बैंक का नाम मय शाखा.....
आईएफएसआई कोड.....
.....
- जिसे संबोधित किया गया है – सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
- बिड शुल्क की रफम रुपये 400/- (अक्षरे रुपये चार सौ मात्र) नकद / रसीद/ बैंक खापट नं.
दिनांक..... द्वारा जमा करा दी गई है/संलग्न है।
- नोट :- वेबसाइट से बिड प्रपत्र डाउनलोड नोट करने पर बिड शुल्क की राशि पृथक से ढी.डी./चैक द्वारा प्रस्तुत की जानी है।
- बिड संख्या 2019–20/..... में वर्णित समस्त शर्तों का तथा उक्त बिड सूचना की अन्य शर्ते, जो सलंगन पृष्ठों में दी गई है (जिनके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों का हमारे द्वारा स्थीकार किये जाने पर प्रतिस्वरूप, हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं।
- बोली प्रतिभूति राशि रुपये 10,000/--(अक्षरे रुपये दस हमार मात्र) नकद रसीद/ बैंक खापट संख्या....
दिनांक..... के द्वारा जमा कराई गई है/संलग्न है।
- किसी भी बिड अथवा समस्त बिड को बिना कोई कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सचिव, RSSB को होगा।
- बोलीदाता द्वारा बोर्ड की शर्तों के अतिरिक्त अन्य कोई शर्त अंकित नहीं की जायेगी एवं ऐसा करने पर इसे मान्य नहीं किया जायेगा। केवल बोर्ड द्वारा मांगी गयी दरों पर ही विचार किया जायेगा।
- बोलीदाता वाहन मालिक/फर्म को निन्मानुसार दस्तावेज संलग्न करने हों : संलग्न नहीं होने की स्थिति में उसके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
 1. पहचान पत्र 2. पैन कार्ड की फोटो कॉपी 3. फर्म की स्थिति में GST Registration, TAN आवंटन की फोटो प्रति/फर्म की रजिस्ट्रेशन प्रति

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय फर्म की मोहर

" दर अनुसूची "

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	दर प्रति कि.मी. (GST टोलटेक्स व अन्य सभी करों सहित) (राजस्थान राज्य की यात्राओं/ राज्य से वाहन की यात्राओं हेतु) (प्रतिदिन चूनतम 250 कि.मी. चलन के आधार पर) कर सहित	दर प्रति कि.मी. जयपुर शहर में (स्थानीय कारों के लिए) (GST टोलटेक्स व अन्य सभी करों सहित) (प्रतिदिन चूनतम 80 कि.मी. चलन के आधार पर) कर सहित
A- टैक्सी वाहन			
1	टाटा इण्डिका / समकक्ष वाहन (A.C.)		
2	टाटा इण्डिका / समकक्ष वाहन (Non AC)		
3	टाटा इंडिगो / स्प्रिट डिजायर / SX-4 समकक्ष (A.C.)		
4	टाटा इंडिगो / स्प्रिट डिजायर / SX-4 समकक्ष (NON A.C.)		
5	टेवेगा / समकक्ष वाहन (A.C.)		
6	टेवेगा / समकक्ष वाहन (NON A.C.)		
7	विगर/ट्रेक्स/ समकक्ष वाहन (A.C.)		
8	विगर/ट्रेक्स/ समकक्ष वाहन (NON A.C.)		
9	इनोवा/Xylo / समकक्ष वाहन (A.C.)		
10	इनोवा/Xylo / समकक्ष वाहन (NON A.C.)		
B- निम्नी बस/बस/टैम्पो/इक			
11	बस बड़ी		
12	मिनी बस		
13	पिकअप/समकक्ष वाहन ()		
14	मिनी ट्रक 407		
15	मिनी ट्रक 609		
16	LP ट्रक 18 फुट/1109 19 फुट		

नोट:- दरें सभी प्रकार के कर, पेट्रोल / डीजल / ऑयल एवं चालक सहित हैं।

दिनांक
संलग्न :-

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय फर्म की ओहर

बिड की शर्तें

नोट :- बोलीदाता को बिड में अपने कोटेशन देते समय इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

1. बिड यथोचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द कर भेजी जानी चाहिए। जिस पर "वाहन किराये हेतु बिड" अंकित होना चाहिये।
2. दरों की इकाईयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये। दरों का अंकन अंकों के साथ शब्दों में भी किया जाना चाहिए। शब्दों में अंकित दर मान्य होगा।
3. वाहन अनुभवी एवं लाइसेंसधारी चालक द्वारा ही चलाये जायेंगे तथा वाहन से संबंधित समस्त कागजात एवं वेद्य लाइसेंस चालक को साथ रखने होंगे।
4. आर.टी.ओ. द्वारा निर्धारित समस्त कर फर्म को ही वहन करने होंगे तथा आवश्यक होने पर परमिट भी फर्म को ख्यां अपने खर्च पर ही प्राप्त करना होगा।
5. किसी भी यांत्रिक/परिस्थितिजन्य त्रुटि के कारण बोर्ड के प्रयोजनार्थ की जा रही यात्रा में यदि वाहन की व्यवस्था पर बोर्ड को अतिरिक्त मूल्य, वहन करना पड़ा तो उक्त राशि फर्म के बिल में से समायेजित की जायेगी।
6. वाहन चालक द्वारा अपनी ओर से किसी भी अन्य व्यक्ति को वाहन द्वारा यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। वाहन चालक को नियांरित वर्दी में होना आवश्यक है।
7. वाहन चालक को नियमानुसार लौंग बुक का संधारण करना होगा।
8. बिड में दी गई दरें अनुबंध से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी।
9. अनुमोदित प्रदायक की दरें रखीकृत किये जाने एवं कार्य आदेश दिये जाने पर 15 दिवस में उचित राशि के नॉन ज्यूडिशियल रसायन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित दरों एवं शर्तों के अनुरूप करारनामा निष्पादित करना होगा।
10. अनुमोदित प्रदायक को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक वाहन जो बोर्ड के कार्य हेतु प्रस्तुत होना है, में किलोमीटर रीडिंग दर्शाने वाला मीटर सही ढंग से कार्य कर रहा है।
11. बोर्ड के प्रयोजनार्थ यात्रा में यदि किलोमीटर रीडिंग असामान्य प्रतीत होती है अथवा माईलोमीटर चलते चलते बन्द हो जाता है तो किलोमीटर का निर्धारण पी.डब्ल्यू.डी./रोडवेज द्वारा प्रकाशित मानचित्र में अंकितानुसार किया जाकर भुगतान किया जा सकेगा।
12. सामान्यतः वाहन राजस्थान राज्य में रिश्त शहरों में ही भेजे जायेंगे, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर राज्य से बाहर भी भेजे जा सकते हैं। राजस्थान के बाहर भेजे जाने पर बोर्ड अलग से कर वहन नहीं करेगा। समस्त कर फर्म को ही वहन करने होंगे।
13. वाहन के मूल प्रमाण पत्र, राजिस्ट्रेशन पत्र बोर्ड कार्यालय द्वारा मांगाये जाने पर अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
14. अनुबंध अवधि में किसी भी सविदा विळब्द स्थिति फर्म/व्यक्ति द्वारा उत्पन्न होती है तो बोर्ड को फर्म की धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
15. बोलीदाता अपनी बिड अथवा उसके किसी भी भाग को ना तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा एवं न ही किसी को आगे बिड पर दे सकेगा।
16. सफल बोलीदाता को करार के समय बिड मूल्य की राशि का 5 प्रतिशत राशि कार्य संपादन (Performance Security) प्रतिभूति राशि के रूप में जमा कराने होंगे जिसमें उसके द्वारा जमा बोली प्रतिभूति राशि का समायोजन कर लिया जायेगा। बोली प्रतिभूति राशि डिमांड ड्रापट के रूप में स्वीकार होंगी। कार्य संपादन प्रतिभूति राशि एवं बोली प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

17. निवधानों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर बोलीदाता द्वारा जमा प्रतिमूर्ति राशि पूर्णतः या अंशतः जब्त कर ली जायेगी। इस सम्बन्ध में बोर्ड के सचिव का निर्णय ही मान्य होगा।

18. किसी भी प्रकार का अग्रिम संदाय बोर्ड द्वारा नहीं किया जावेगा।
19. वाहन सफल बोलीदाता को बोर्ड के निर्देशानुसार निर्देशित अवधि के लिए वाहन उपलब्ध कराना होगा। वाहन समय पर नहीं पहुँचने पर वाहन मालिक की कोस्ट एवं रिस्क पर वाहन किराये पर लिया जावेगा जिसकी क्षतिपूर्ति वाहन मालिक से की जायेगी।

20. वाहन वर्ष 2013 एवं इसके बाद के अच्छी कर्णधीशन के होने चाहिये। यदि विशेष परिस्थितियों में वर्ष 2013 से पूर्व के मॉडल के वाहन ठेकेदार भेजता है तो वाहन द्वारा दी गई सेवाओं को देखते हुए किराये में से उचित राशि की कटौती करने का अधिकार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर का होगा।

21. वाहन का पंजीयन “टी” “पी” अथवा “जी” श्रेणी में होना चाहिये।
22. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों के भुगतान में से प्रत्येक भुगतान में से नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जावेगा।
23. निश्चित दिनांक व प्राप्ति समय के पश्चात् प्राप्त बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।
24. दरें डीजल, पेट्रोल एवं औद्योगिक समय के अनुबंध की अवधि के दौरान यदि डीजल, पेट्रोल एवं औद्योगिक मूल्य में वृद्धि होती है तो भी दरों में वृद्धि नहीं की जायेगी।
25. यदि वाहन किसी कारणवश खराब हो जाता है तो वाहन खामी को अविलम्ब, अपने स्तर से दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा।
26. बोर्ड से सूचना प्राप्त होने के बाद तुरन्त बोलीदाता को वाहन किराये पर उपलब्ध कराना होगा यदि बोलीदाता इसमें असफल रहता है तो बोर्ड द्वारा खुले बाजार से वाहन किराये पर लेने पर इसकी अन्तर राशि बोलीदाता से वसूल की जायेगी।
27. यदि बोलीदाता समय पर/सही वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है अथवा उसका/वाहन चालक का व्यवहार ठीक नहीं रहता है तो बोर्ड को किसी भी समय पर उचित अवसर देकर अनुबंध समाप्त करने एवं प्रतिमूर्ति राशि जब्त करने का अधिकार होगा।
28. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा लागू/प्रभावी समर्स्त दायित्वों/नियमों का बोलीदाता द्वारा निर्वहन करना होगा।
29. अनुबंधित वाहन में यात्रा के दौरान वाहन चालक की लापरवाही या बरसात के मौसम में वाटरप्रूफ त्रिपाल नहीं लगाने या अन्य लापरवाही के कारण कोई हानि होती है तो वह अनुबंधित वाहन मालिक से वसूली जायेगी।

30. यात्रा के दौरान दुर्घटनाप्रस्त / दूट-फूट / चालान आदि होने पर इस कार्यालय का कोई दायित्व नहीं होगा तथा उक्त स्थिति में होने वाले व्यय के लिए संबंधित अनुबन्धकर्ता उत्तरदायी होगा। यदि दुर्घटना में इस कार्यालय/संस्था को कोई हानि होती है तो उसका दायित्व अनुबन्धकर्ता वाहन मालिक/फर्म का होगा।
31. पथकर (टोलटेक्स) एवं पार्किंग चार्जर्ज के सिवाय समस्त कर व्यक्ति / ठेकेदार / फर्म द्वारा वहन किये जायेंगे। व्यक्ति / ठेकेदार / फर्म / द्वारा संदत पथकर (टोलटेक्स) एवं पार्किंग चार्जर्ज का पुनर्भरण संदाय की रसीद प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।
32. किसी भी वैधानिक बाद की स्थिति में फर्म द्वारा संरित किये जाने वाले दावे यदि आवश्यकता पड़े जयपुर में स्थित न्यायालय में ही प्रांग करने होंगे, किसी अन्य स्थान पर नहीं।

सचिव
राज० कर्मचारी चयन बोर्ड,
जयपुर

बोलीदाता के हस्ताक्षर
एवं फर्म की मोहर
उपरोक्त समस्त शर्तें मुझे/ हमें स्वीकार हैं।

अनुबन्ध पत्र

1. यह करार आज दिनांक को एक और मैसर्स..... “अनुमोदित प्रदायक” कहा गया है, जिस अधिकारित में जहां संदर्भ के अनुकूल हो उसके वाशिंश, उत्तराधिकारी, निषादक तथा प्रशासक समिक्षित समझे जायेंगे।) दूसरी और सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (जिन्हें इसके पश्चात “बोर्ड” कहा गया हैं जिस अधिकारित में, जहां संदर्भ के अनुकूल हो, उनके उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती समिक्षित समझे जायेंगे) के बीच सम्पन्न किया गया है।
2. यह करार दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगा। इसके आगे एक वर्ष की अवधि पारस्परिक सहमति से उसी दर से बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए बोर्ड बाध्य नहीं है।
3. अनुमोदित प्रदायक सभी बिड शर्तों का पालन करते हुए सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की स्वीकृति दरों (जो उन्होंने अपने पत्र क्रमांक.....दिनांक.....दिनांक.....द्वारा सूचित की है) से उड़िल /पेट्रोल /ऑयल अच्युत सभी कर टोल टैक्स, GST सहित वाहन किराये पर उपलब्ध कराने को सहमत होगा।
4. जयपुर से बाहर की यात्राओं हेतु वाहनों के लिए 250 किलोमीटर प्रतिदिन न्यूनतम चलन के आधार पर किशाया देय होगा। स्थानीय कार्यों हेतु चूनातम 80 किलोमीटर प्रतिदिन चलन आधार पर देय होगा। एक दिन की गणना कार्यालय में वाहन उपलब्ध कराने से आगे 24 घंटे तक की जायेगी। वाहन कार्यालय में आते ही प्राप्ति को वाहन के आने की प्रविष्टी एवं वाहन का किलोमीटर व समय नोट कराना होगा।
5. अनुमोदित प्रदायक ने..... रूपये प्रतिशूलि राशि के रूप में रसीद संख्या..... दिनांक..... द्वारा जमा करा दी है।
6. रास्ते में वाहन खराब होने पर उसे टीक कराने में लगाने वाले समय एवं व्यय को बोर्ड वाहन नहीं करेगा तथा फर्म को तुरन्त दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी। जिसमें होने वाले समस्त व्यय फर्म ही वाहन करेगी। किसी भी प्रकार का अग्रिम वाहन मालिकों को नहीं दिया जावेगा।
7. इस करार के संबंध में होने वाले समस्त विवाद इस करार के निर्वचन समस्त प्रश्न सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा सूचित किये जायेंगे तथा बोर्ड के सचिव का विनिश्चय अतिम होगा।
8. बोर्ड द्वारा जारी शर्त ही मान्य होगी।
9. भुगतान पर नियमानुसार ठी.डी.एस. काटा जावेगा।
10. GST जमा कराने का प्रमाण पत्र अगले बिल के साथ प्रत्युत करना होगा।
11. वाहन का पंजीयन “टी” “पी” अथवा “जी” श्रृंगी में होना चाहिये।
12. वाहन वर्ष 2013 एवं इसके बाद के अच्छी कर्जिशन के होने चाहिये यदि विशेष परिस्थितियों में वर्ष 2013 से पूर्व के मौड़ल के वाहन टेकेदर भेजता है तो वाहन द्वारा दी गई सेवाओं को देखते हुए निर्धारित कियाये में से उचित राशि की कटौती करने का अधिकार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को होगा।
13. बिड प्रत्व में वर्षित एवं संलग्न सभी शर्तें मान्य होगी।
14. बिड की शर्तें करार का ही भाग होंगी। दरें निम्नानुसार होंगी :—

“ दर अनुसूची ”

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	दर प्रति किमी GST टोलटेक्स व अच्युती करें सहित (राजस्थान / राज्य से वाहन की यात्राओं हेतु प्रतिदिन चूनातम 250 कि.मी. वाहन के आधार पर)		दर प्रति किमी (स्थानीय कारों के करसे सहित GST टोलटेक्स व अन्य सभी करसे सहित प्रतिदिन चूनातम 80 कि.मी. वाहन के आधार पर)
		A- टैक्सी वाहन	B- मिनी बस/बस/टैम्पो/ट्रक	
1	टाटा इष्टिका / समकक्ष वाहन (A.C.)			
2	टाटा इष्टिका / समकक्ष वाहन (Non A.C.)			
3	टाटा इडिगो / रिक्पट डिजायर / SX-4 समकक्ष (A.C.)			
4	टाटा इंडिगो / रिस्पट डिजायर / SX-4 समकक्ष (NON A.C.)			
5	टवेरा / समकक्ष वाहन (A.C.)			
6	टवेरा / समकक्ष वाहन (NON A.C.)			
7	विंगर / ट्रेक्स / समकक्ष वाहन (A.C.)			
8	विंगर / ट्रेक्स / समकक्ष वाहन (NON A.C.)			
9	इनोवा / Xylo / समकक्ष वाहन (A.C.)			
10	इनोवा / Xylo / समकक्ष वाहन (NON A.C.)			
11	वस बड़ी			
12	मिनी बस			
13	पिकअप / समकक्ष वाहन ०			
14	मिनि ट्रक 407			
15	मिनि ट्रक 609			
16	L.P ट्रक 18 फुट / 1109 19 फुट			

इसके साक्ष्य में इसके दोनों पक्षों ने दिनांक को अपने हस्ताक्षर किये हैं।

अनुमोदित प्रदायक के हस्ताक्षर
साक्षी नं. 1
साक्षी नं. 2

बोर्ड के लिए तथा की ओर से
हस्ताक्षर व पदनाम